

### अतिआवश्यक परिपत्र

**विषय :-** पिछडा वर्ग वर्ष 2023–24 नवीन एवं नवीनीकरण (द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष) के विद्यार्थियों को पोर्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जमा करने हेतु दिशा निर्देश।

संस्थान के समस्त पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों वर्ष 2023–24 को सूचित किया जाता है कि अध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा एम.पी.टास पोर्टल को पुनः प्रारंभ किया गया है व अंतिम दिनांक 31 / 03 / 2024 निर्धारित की गयी है, जिन विद्यार्थियों का विगत वर्ष का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है वे पीएमएस सेक्सन में समक्ष आकर रिजल्ट अपडेट करवाये, अतः संस्थान के पिछडा वर्ग के समस्त विद्यार्थियों, जिनके माता पिता की वार्षिक आय ₹ 3,00,000/- (तीन लाख रुपये तक) है, वे विद्यार्थी अपना ऑन लाईन आवेदन, पोर्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन फार्म पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाईट [www.scholarshipportal.mp.nic.in](http://www.scholarshipportal.mp.nic.in) व प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों <http://www.tribal.mp.gov.in/mptaaas> पर भरकर, संलग्न समस्त दस्तावेजों सहित हार्ड कापी पोर्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति (लेखा विभाग) में जमा करे, जिसके अभाव में छात्रों को जमा किये गये शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं होगा।

समस्त विद्यार्थी अपना आवेदन **दिनांक 31 / 03 / 2024** तक (लेखा शाखा) में जमा कर सकते हैं। राज्य शासन द्वारा सीधे पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में, छात्रवृत्ति व शिक्षण शुल्क जमा किया जावेगा। संस्थान के पिछडा वर्ग के समस्त विद्यार्थी निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करे :—

- 1) शासकीय सेवक हो तो विभाग द्वारा जारी वेतन सेलरी स्लिप विगत माह की) जिसमें समस्त प्रकार के वेतन, भत्ते, मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदि शामिल हो। अगर माता—पिता दोनों शासकीय सेवक हो, तो दोनों की पे रसीद करना अनिवार्य है। जिनके माता पिता व्यवसाय करते हो, वे इन्कम टेक्स रिटर्न 16, प्रायवेट सेवारत कर्मचारी/अधिकारी को नियोक्ता का वार्षिक अथवा मासिक आय प्रमाण पत्र।
- 2) विद्यार्थी ऑन लाईन स्कालरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्ति हेतु बैंक का नाम, बैंक खाता नम्बर, आय.एफ. एस.सी कोड की जानकारी सावधानी पूर्वक दर्ज करे व खाता नम्बर को ऑन लाईन स्कालरशिप पोर्टल पर आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य। बैंक खाते नम्बर में त्रुटि होने पर संपूर्ण जवाबदारी विद्यार्थी की होगी।
- 3) प्रवेश के समय संस्था में जमा की गई शिक्षण शुल्क की रसीद की छायाप्रति।
- 4) विद्यार्थियों द्वारा बैंक खाता नियमित संचालित करने संबंधी घोषणा पत्र।
- 5) पोर्ट मेट्रिक स्कालरशिप आवेदन पत्र पर अपना नवीन फोटो पेस्ट करे।
- 6) समस्त दस्तावेजों को स्वप्रमाणित हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
- 7) विद्यार्थियों द्वारा ऑन लाईन स्कालरशिप पोर्टल पर भरे गये छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में दर्ज किये गये मोर्चाइल नम्बर पर ही छात्रवृत्ति से संबंधित समस्त संदेश/सूचनाएँ, उपस्थिति जानकारी प्राप्त होगी।
- 8) रथायी जाति प्रमाण पत्र :— एस.डी.एम. द्वारा जारी ही मान्य।
- 9) उत्तीर्ण अंक सूची :— विगत दो वर्षों की उत्तीर्ण अंक सूची।
- 10) मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- 11) एडमिशन रसीद, शुल्क जमा का चालान, अलॉटमेन्ट लेटर।
- 12) छात्रावास प्रमाण पत्र :— वार्डन द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- 13) स्कालरशिप आवेदन पत्र के साथ विद्यार्थी 4(अ) 4(ब) 4(स) प्रोफार्मा आवश्यक रूप से भरकर देवे।
- 14) समस्त विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति अनिवार्य है, उपस्थिति कम होने पर छात्रवृत्ति व शिक्षण शुल्क इत्यादि का भुगतान पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जिला इन्दौर द्वारा नहीं किया जावेगा, जिसके लिये विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।
- 15) राज्य शासन द्वारा शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क की प्रतिपूर्ति न करने या अध्ययनरत पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क भुगतान कम होने पर अंतर राशि संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ही यहन की जावेगी।

निदेशक  
MPB

प्रतिलिपि :—

- 1) समस्त डीन/समस्त विभागाध्यक्ष
- 2) निदेशक कार्यालय/
- 3) वित्त अधिकारी/
- 4) रजिस्ट्रार कार्यालय।
- 5) समस्त नोटिस वोर्ड/होर्स्टल।